भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 987

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

987. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) के द्वारा मौजूदा "बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति" योजना का विस्तार किए जाने के संबंध में सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाएं विशेष रूप से कार्यान्वित की है।

"बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति" योजना को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल कर दिया गया है। उक्त योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******